

आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण  
प्रकरण संख्या 170/2024 (धारा 14 सिक्कुरिटाईजेशन)  
एडलवेस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- एडलवाईस हाऊस, ऑफ सीएसटी  
रोड, कलीना रोड, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री पवन कुमावत पुत्र श्री श्योजी राम,  
पता:- मैसर्स इन्द्रा टेक्सटाईल्स, गिरधारीपुरा रोड, एसबीआई एटीएम के सामने, धावास, जयपुर  
एवं चौरास्या की ढाणी, दहमी, जयपुर।
2. श्रीमती इन्द्रा एम पुत्री श्री मोहन लाल कुमावत,
3. श्री श्योजी राम पुत्र श्री गोविन्द राम कुमावत,  
पता:- चौरास्या की ढाणी, दहमी, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement  
of Security Interest Act, 2002

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :- अदिति चन्देल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 26.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था एचडीबी फाईनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.12.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री श्योजी राम कुमावत के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा नं. 179, ग्राम पंचायत दहमीकलां, पंचायत समिति सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 190 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 10,80,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। एचडीबी फाईनेन्सियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी का ऋणी खाता जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांकित 28.02.2023 से प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.04.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

2. प्राप्ति का पत्र प्रस्तुत होने पर वही प्रतिबन्ध विना समाप्त। पञ्जाबली एवं प्रस्तुत प्रस्तावों की मूल्यांकन अवलोकन किया गया।
3. पञ्जाबली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राणी वित्तीय संस्था ने अप्राप्तिगणों को कुल राशि 10,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रविष्टि जमानत के रूप में अप्राप्तिगण ने उपरोक्त चर्चित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्राणी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राप्तिगण का ऋण खाता एन पी ए सीमित होने से नियमावली के तहत वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 21,84,020.87/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्राप्तिगण को दिनांक 13.04.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन प्रतिबन्ध जोड़ दिया गया है। अप्राप्तिगण द्वारा जमाई गई अप्रविष्टियों का विश्लेषण प्राणी वित्तीय संस्था द्वारा कर दिया गया है, परन्तु प्राणी वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा विलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है।
4. आतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राप्ति श्री श्योजी राम कुमार के स्वामित्व की बंधक संपत्ति पट्टा नं. 179, माम पंचायत चहगीकला, पंचायत समिति सीमानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 190 वर्ग गज का भौतिक रूप से कब्जा प्राणी वित्तीय संस्था द्वारा जरिमे सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपप्राप्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्राणी को भेज कर लिखा जावे की अवत सम्पत्ति का कब्जा प्राणी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को विलाये हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट गिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरब कायदा जारी हो। पञ्जाबली नम्बर से कम होकर दायित्व दफ्तर हो।
- आदेश-आतः दिनांक 26.09.2024 को शरे इजलसरा सुनाया गया।



  
 (श्री. जितेन्द्र कुमार श्रोणी)  
 जिला अधिकारी  
 (कलकत्ता) जयपुर (प्राणी)